Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

53-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 20, 2025 (PHALGUNA 29, 1946 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 20th March, 2025

No. 13-HLA of 2025/18/5193.— The Haryana Horticulture Nurseries Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 13-HLA of 2025

THE HARYANA HORTICULTURE NURSERIES BILL, 2025

A

BILL

to provide for the registration and regulation of horticulture nurseries in the State of Haryana and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows: -

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Horticulture Nurseries Act, 2025.

(2) It extends to the whole of the State of Haryana.

(3) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "appellate authority" means Additional Chief Secretary or Principal Secretary to Government, Haryana, Agriculture and Farmers Welfare Department or any officer nominated by him, not below the rank of Special Secretary;

(b) "competent authority" means competent authority appointed under section 3;

(c) "export" means taking out the horticulture plant or plant material out of the State or out of India by land, sea or air;

(d) "fruit plant" means any plant which can produce edible fruits or nuts and includes budwood, seedlings, grafts, seeds and cuttings of such plant;

(e) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(f) "horticulture nursery" means any place where horticulture plant and plant material are sold for transplantation, in the regular course of business;

(g) "horticulture plant" means a plant belonging to any of the category of fruits, vegetables, tubers, spices, condiments, flowers, ornamental, medicinal and aromatic crops or such other plant, as the Government may, by notification declare to be a horticulture plant;

(h) "import" means bringing the horticulture plant or plant material from outside the State or from other countries for further propagation;

(i) "inspecting officer" means an officer of the Horticulture Department authorized by the competent authority for inspection of horticulture nursery;

(j) 'kind' means one or more related species or sub-species of crop plant each individually or collectively known by one common name such as mango, tomato, rose, coconut etc.;

(k) "ornamental plant" means a plant cultivated for decorative purposes, enhancing the aesthetic appeal of gardens, landscape and indoor spaces;

(l) "owner" means a person who owns or has control over the affairs of a horticulture nursery and includes the person designated to be the incharge of the horticulture nursery owned by the State Government/Central Government/board/corporation/ autonomous bodies;

(m) "plant material" means any horticulture plant or propagation material including budwood, scion, rootstock, seeds, cuttings, rhizomes, bulbs, suckers, runners, used in raising the horticulture plant;

(n) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(o) "private sector varieties" means and includes plant varieties developed, maintained and marketed by private seed companies;

(p) "public sector varieties" means and includes plant varieties developed, maintained and distributed for public benefit at affordable prices by government institutions such as State Horticultural Universities/ State Agricultural Universities/ Indian Council of Agricultural Research;

(q) "rootstock" means a horticulture plant or part thereof on which any horticulture plant has been grafted or budded;

(r) "scion" means a part of horticulture plant which is grafted or budded on to a rootstock;

(s) "State" means the State of Haryana;

(t) "State Government" means the Government of the State of Haryana;

(u) "unknown pedigree" means and includes plant variety whose ancestry, genetic lineage or parentage is not documented, traced or officially recorded;

(v) "variety" means a sub-division of a kind identifiable by growth, yield, plant, fruit, seed or other characteristics.

Appointment of competent authority.

3. The Government may, by notification appoint an officer, not below the rank of Additional Director to be competent authority for the purposes of this Act.

Owner to obtain licence for registration of horticulture nursery.

4. No owner of a horticulture nursery shall, after the expiry of six months from the date of commencement of this Act or from the date on which he becomes owner of such nursery, whichever is later, conduct or carry on the business, except under and in accordance with the standards prescribed for this purpose and with a licence obtained by him from the competent authority under the provisions of this Act and the rules made thereunder:

Provided that where an owner has more than one horticulture nursery in the same district or village or in different districts or villages, whether in the same name or other name, he shall obtain a separate licence in respect of each such nursery.

Application for grant of licence or its renewal.

5. (1) Any owner who desires to obtain a licence shall apply to the competent authority in such form and manner, accompanied by such fee as may be prescribed:

Provided that from the date of commencement of this Act, the horticulture nursery owned by the State Government or the Central Government or corporate bodies of the State and Central Government shall be exempted from licence fee or renewal fee.

(2) In case of fresh application for grant of licence or for renewal of licence, the competent authority shall direct the inspecting officer to inspect the horticulture nursery and submit a report in such form and manner, as may be prescribed.

(3) The competent authority on being satisfied by the report of the inspecting officer, shall grant a licence to the applicant.

(4) The competent authority if not satisfied with the report of the inspecting officer, may after giving a reasonable opportunity to the applicant of being heard and after recording the reasons, may refuse or renew the licence, as the case may be, and furnish a copy of the order to the applicant.

(5) Every licence granted under this section shall be in such form, as may be prescribed and shall be valid for a period of five years from the date of its issuance and be renewed by the competent authority for a further period of not more than five years in such manner alongwith such fee, as may be prescribed.

Permission to sell.

6. The owner shall be permitted to sell public sector varieties and private sector varieties and kind thereof as per their choice:

Provided that the owner of the fruit plant shall only sell varieties and kind thereof as provided in sub-section (1) and (2) of section 13.

Power to cancel or suspend licence or destroy horticulture plant and plant material.

7. (1) The competent authority may suspend or cancel any licence granted or renewed under this Act on any of the following grounds, namely:-

(a) if he has parted in whole or in part or has otherwise ceased to maintain or hold horticulture nursery;

(b) if he has, without reasonable cause, failed to comply with any of the terms and conditions of the licence or any direction of the competent authority or has contravened any of the provision of this Act or the rules made thereunder;

(c) if he has applied to be adjudicated or been adjudicated an insolvent;

(d) if he has become incompetent to maintain or hold such horticulture nursery;

(e) if he has refused to surrender or produce his licence or the registers and other records required to be maintained under this Act or the rules made thereunder;

(f) on any other ground, as may be prescribed:

Provided that in case of suspension or cancellation of licence under this Act, the owner shall not be entitled for any compensation and refund of fee paid by him.

(2) The competent authority may suspend the licence pending the proceeding under sub-section (1).

(3) Before passing an order under sub-section (1), the competent authority shall inform the grounds to the owner on which it has been proposed to take action and further to give him a reasonable opportunity of hearing against such action.

(4) The competent authority or any officer authorized by him may destroy whole or part of the horticulture plant or plant material if the same is found to be of unknown pedigree or infected with pests and diseases. The entire process of identification and destruction shall be documented through videography to ensure transparency and to maintain proper records.

(5) Copy of every order passed under sub-section (1) or (2) shall be communicated to the owner and in case the owner refuses or avoid receiving of the same, the copy of order shall be affixed at conspicuous place of the horticulture nursery and shall be deemed to be communicated.

Surrender of licence.

8. (1) On the expiry of the period of validity specified in a licence or on receipt of an order of suspension or cancellation of the licence, the owner shall surrender the licence to the competent authority, provided that the competent authority may, after receipt of such licence and on an application of owner, may give reasonable time, as it thinks fit to enable him to wind up the horticulture nursery or otherwise.

(2) In case the owner does not wind up within the stipulated period, the horticulture plant and plant material shall be destroyed by the inspecting officer at the cost of owner in addition to the penalty as provided under section 16.

Issue of duplicate licence.

9. If a licence granted to an owner under this Act is lost, destroyed, mutilated or damaged, the competent authority shall, on an application and on payment of such fee, as may be prescribed, issue a duplicate licence.

Appeal.

10. (1) Any person aggrieved by an order passed by the competent authority under section 5 or 7, may file an appeal to the appellate authority, in such form and manner and within such period, as may be prescribed:

Provided that the appellate authority may entertain an appeal even after expiry of the prescribed period, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the appellate authority shall, after giving the appellant an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit.

(3) Any order passed under this section shall be final.

Duties of owner.

11. The following shall be the duties of owner, namely:-

(a) to maintain a register and to produce the record for inspection on demand by the competent authority or any person authorized by him or inspecting officer in such form and manner, as may be prescribed;

(b) to display the rates for each of the horticulture plant and plant material at a conspicuous place in the horticulture nursery;

(c) to maintain a bill book in such form and manner, as may be prescribed;

(d) to maintain register and other record atleast for ten years in case of fruit plant and two years in case of horticulture plant and plant material;

(e) to keep the horticulture nursery soil, plant material and horticulture plant free from pest and disease;

(f) to maintain a register giving the details of the plant protection measures in such form and manner, as may be prescribed;

(g) to maintain records in such form and manner, as may be prescribed.

Duties of owner of fruit plant.

12. In addition to the duties as provided in section 11, the owner of the fruit plant shall also have the following duties, namely:-

(a) to undertake only such varieties of the fruit plant for business or propagation as specified in the licence;

(b) to keep a complete record of the origin or source of every rootstock and scion in such form, as may be prescribed, showing-

(i) the botanical name, together with local name, if any of the rootstock used;

(ii) the botanical name, together with the local name, if any, of the scion used;

(iii) the plant stock position and price structure at the conspicuous place of the horticulture nursery on a display board in local language with green colour background and white labelling;

(c) to keep the fruit plant as well as the plant material used for the propagation of fruit plant free from pest and diseases and to maintain the quality standards as specified by the National Horticulture Board, Government of India/State Horticultural Universities/State Agricultural Universities/Indian Council of Agricultural Research/ Horticulture Department, Haryana;

(d) to ensure that fruit plant intended for sale shall have a conspicuous label/water resistant QR code specifying the name of the variety of fruit plant, its age, source and the name of the rootstock;

(e) to maintain a record of plant material and fruit plant available in the horticulture nursery which have been propagated or imported;

(f) to obtain permission from the competent authority, whenever a new variety is to be added;

(g) to ensure that each package or container containing plant material and fruit plant is distinctly labelled to designate the variety sold and/or include a QR code.

Plant material to be utilized for propagation.

13. (1) In case of fruit plant, the owner shall use the varieties of scion and rootstock as approved by the State Horticulture University /State Agriculture University/Government of India / Horticulture Department, Haryana.

(2) If the owner uses imported variety of scion and rootstock of fruit plant produced outside the country, then the same shall be accompanied by an import permit, a phytosanitary certificate and undergo post-entry quarantine.

(3) The competent authority or any person authorized by him may declare any type of plant material unfit for use, if he is satisfied that use of such plant material shall affect the interest of horticulture on account of the following reasons, namely:-

(a) poor quality of horticulture product;

(b) poor bearing capacity;

(c) infected with insects, pests and disease which cannot be cured;

(d) fruit plant of unknown pedigree;

(e) any other reasons, which may be considered fit in the interest of horticulture.

(4) In case there is a danger of the spread of the insects, pests and diseases to other nurseries, the owner shall quarantine all horticulture plant and plant material and shall not use and supply the same for further propagation and the competent authority may order to destroy such infected horticulture plant and plant material.

Power of Government to regulate and prohibit.

14. The Government may, by notification, regulate or prohibit any horticulture plant and plant material of unknown pedigree grown in any part of the State or imported or exported or affected by an infectious pest or disease, subject to such restrictions and conditions, as may be specified in the notification, for the purpose of maintaining their quality.

Power to enter and inspect.

15. (1) The competent authority or any person authorized by him alongwith the inspecting officer shall have the power-

(a) to enter, inspect or examine the horticulture plant and plant material in the horticulture nursery;

(b) to order production of any record, account books, register or other documents relating to such horticulture nursery and may take extracts of such document;

(c) to examine any person related with the affairs of the horticulture nursery.

(2) The owner and all persons employed in connection with the affairs of the horticulture nursery shall provide the competent authority or the person authorized by him or the inspecting officer, all reasonable access and facility for such inspection and examination, as may be required and shall answer all questions to the best of their knowledge and belief, produce documents in their possession and furnish such other information in relation to the horticulture nursery, as may be required.

Penalty.

16. (1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act or any rules made thereunder or obstructs any officer or person in the exercise of any powers conferred or in the performance of any duty imposed upon him by or under this Act, shall be liable for imprisonment of either description which may extend to one year or with fine upto one lakh rupees only or with both.

(2) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person incharge of, and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished as per sub-section (1):

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished as per sub-section (1).

Explanation.-For the purposes of this section-

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director" in relation to a firm, is a partner in the firm.

Cognizance of offence.

17. No Court shall take cognizance of and try any offence punishable under this Act except on the report in writing of the facts constituting such offence made by the competent authority or any officer authorized by the Government in this behalf.

Compensation.

18. (1) The horticulture plant and plant material, which is not found genuine and of same type as mentioned in the bill/invoice by the owner, shall be treated as violation of the provisions of this Act and the owner shall be liable to be punished as per the provisions of sub-section (1) of section 16.

(2) In pursuance to sub-section (1), the owner shall also be liable to pay compensation-

(i) in case of horticulture plant other than ornamental plant, equal or upto twice the cost of cultivation;

(ii) in case of ornamental plant, double the cost of purchasing of ornamental plant:

Provided that the said compensation shall be subject to the recommendations of the committee to be constituted by the competent authority for this purpose.

Jurisdiction of Court.

19. No Court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act or rules made thereunder.

Officers and persons exercising power under this Act to be public servants.

20. All officers appointed under this Act and every person authorized to exercise any powers conferred or to perform any duties imposed on him by or under this Act shall be deemed to be public servant within the meaning of clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023).

Protection of action taken in good faith.

21. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any officer for anything, which is done or intended to be done or order issued in good faith in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

Power to make rules.

22. (1) The Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the State Legislature.

23. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty: Power to remove difficulties.

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

24. (1) The Haryana Fruit Nurseries Act, 1961 (Punjab Act 13 of 1961) is hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The horticulture sector plays a vital role in the agricultural economy of Haryana. A regulatory frame work of fruit nurseries exists as the Haryana Fruit Nursery Act, 1961. However, the absence of a well-defined regulatory framework for horticulture nurseries other than fruit nurseries has resulted in the sale of substandard and disease-prone planting material, leading to reduced crop productivity and economic losses for farmers and customers.

The existing Haryana Fruit Nursery Act, 1961 has limited applicability, as there is no quality control mechanism for horticulture nurseries dealing with vegetables, spices, condiments, flowers, ornamental, medicinal, and aromatic crops. Due to this gap, unauthorized nurseries operate without accountability, leading to the spread of planting material of unknown pedigree and the proliferation of pests and diseases among horticultural crops. The need for scientific nursery management, quality assurance, and regulation has been strongly felt to ensure that only certified, high-quality planting material reaches farmers.

Therefore, the Government of Haryana considers it expedient to repeal the existing Haryana Fruit Nursery Act, 1961 and to introduce a comprehensive law to regulate horticulture nurseries in the state. The proposed Haryana Horticulture Nurseries Bill, 2025, seeks to:

1. Provide for the registration and regulation of horticulture nurseries in the State of Haryana.
2. Ensure that the owner of a horticulture nursery registers it in accordance with the standards prescribed in the Act and the rules made thereunder.
3. The owner can register horticulture nursery for whole horticulture plants of any of the category of fruits, vegetables, spices, condiments, flowers, ornamental, medicinal, and aromatic crops.
4. The owner shall be permitted to sell varieties and kind thereof as per their choice of horticulture plants and whereas, the verities of the fruit plants as specified in the licence.
5. The owner can have more than one horticulture nursery after obtaining separate licence.
6. Empower the competent authority to suspend or cancel any license granted or renewed under the Act if it violates its provisions.
7. Require the owner of a horticulture nursery to maintain records in such form and manner as may be prescribed.
8. Regulate and prohibit the sale and distribution of horticulture plants and plant material of unknown pedigree or those infected with pests and diseases.
9. Impose penalties on those who contravene any provisions of this Act or the rules made thereunder.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

Hence, this Bill

SHYAM SINGH RANA,
Agriculture Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 20th March, 2025.

DR. SATISH KUMAR,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATING LEGISLATIVE POWERS

The Bill delegates powers to the State Government, Government and the Competent Authority in various sections to ensure smooth regulation, licensing, inspection, and enforcement related to horticulture nurseries.

Section	Subject of Delegation	Delegated Authority	Nature of Delegation
Section 3	Appointment of Competent Authority	Government	Power to appoint an officer (not below Additional Director rank) to implement the Act.
Section 7	Power to cancel or suspend licence or destroy horticulture plant and plant material	Competent Authority	Power to suspend or cancel licenses based on violations of the Act.
Section 10	Appeal	Appellate Authority	Power to hear appeals against licensing decisions and pass necessary orders.
Section 14	Power of Government to regulate and prohibit	Government	Power to regulate or prohibit the import/export of horticulture plants and planting material affected by pests or disease and of unknown pedigree.
Section 15	Power to enter and inspect	Competent Authority or any person authorized by him or Inspecting Officer	Power to inspect nurseries, verify records, and take enforcement action.
Section 16	Penalty	Competent Authority	Power to impose, a fine upto of Rs. 1,00,000/- or imprisonment up to one year or both for violations of the Act.
Section 18	Compensation	Competent Authority	Power to form a committee to decide compensation amount.
Section 22	Power to make rules	Government	Power to frame rules through notifications for implementing various provisions of the Act. Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the State Legislature
Section 23	Power to remove difficulties	Government	Power to issue orders to remove difficulties within two years of the implementation of the Act.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 13–एच०एल०ए०

हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक, 2025
हरियाणा राज्य में बागवानी पौधशालाओं के पंजीकरण और विनियमन तथा इससे सम्बन्धित और इससे आनुषंगनिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु
विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा बागवानी पौधशाला अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो विशेष सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी;

(ग) ''निर्यात'' से अभिप्राय है, भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से राज्य के बाहर या भारत के बाहर बागवानी पौधे या पौध सामग्री को ले जाना;

(घ) ''फलीय पौधा'' से अभिप्राय है, कोई पौधा, जो खाद्य फल या नट्स पैदा कर सकता है और इसमें ऐसे पौधों की कली, पौद, उपरोपण, बीज तथा कलमें भी शामिल हैं;

(ङ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(च) ''बागवानी पौधशाला'' से अभिप्राय है, कोई ऐसा स्थान, जहां कारबार के नियमित क्रम में बागवानी पौधों और पौध सामग्री के प्रतिरोपण के लिए विक्रय किया जाता है;

(छ) ''बागवानी पौधा'' से अभिप्राय है, फलों, सब्जियों, कंदों, मसालों, रूचिकर–सामग्री (कोंडिमेन्ट्स), फूलों, सजावटी, औषधीय और सुगंधमयी फसलों के किसी भी प्रवर्ग से सम्बन्धित कोई पौधा या ऐसा अन्य पौधा, जिसे सरकार, अधिसूचना द्वारा बागवानी पौधे के रूप में घोषित करे;

(ज) ''आयात'' से अभिप्राय है, बागवानी पौधों या पौध सामग्री को आगे प्रवर्धन के लिए राज्य के बाहर से या अन्य देशों से लाना;

(झ) ''निरीक्षण अधिकारी'' से अभिप्राय है, बागवानी पौधशाला के निरीक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत बागवानी विभाग का कोई अधिकारी;

(ञ) ''किस्म'' से अभिप्राय है, फसली पौधों की एक या एक से अधिक सम्बन्धित प्रजातियां या उप–प्रजातियां, जो प्रत्येक एकल रूप में या संयुक्त रूप में एक सामूहिक नाम से जानी जाती हैं, जैसे आम, टमाटर, गुलाब, नारियल इत्यादि;

(ट) ''सजावटी पौधे'' से अभिप्राय है, बगीचों, प्राकृतिक छटा और भीतरी जगहों के सौंदर्य के आकर्षण को बढ़ाने के लिए सजावट के प्रयोजनों हेतु उगाया जाने वाला पौधा;

(ठ) ''स्वामी'' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जो किसी बागवानी पौधशाला का स्वामी है और जिसका बागवानी पौधशाला के मामलों पर नियंत्रण है और इसमें राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/बोर्ड/निगम/स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाली बागवानी पौधशाला के प्रभारी के रूप में पदाभिहित व्यक्ति भी शामिल है;

(ड) ''पौध सामग्री'' से अभिप्राय है, बागवानी पौधे को उगाने में प्रयुक्त कोई बागवानी पौधा या प्रवर्धन सामग्री और इसमें कली, सांकुर शाखा, मूलवृंत, बीज, कलमें, प्रकंद, शल्क–कंद, सकर, रनर भी शामिल हैं;

(ढ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ण) ''निजी क्षेत्र उपकिस्म'' से अभिप्राय है और इसमें शामिल हैं, निजी बीज कम्पनियों द्वारा विकसित, अनुरक्षित और विपणन की गई पौधों की उपकिस्में;

(त) ''सार्वजनिक क्षेत्र उपकिस्म'' से अभिप्राय है और इसमें शामिल हैं, सरकारी संस्थाओं जैसे राज्य बागवानी विश्वविद्यालय/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किफायती कीमतों पर सार्वजनिक लाभ के लिए विकसित, अनुरक्षित और वितरित पौधों की उपकिस्में;

(थ) ''मूलवृंत'' से अभिप्राय है, कोई बागवानी पौधा या उसका भाग, जिस पर कोई बागवानी पौधा उपरोपित किया गया हो या अंकुरित किया गया हो;

(द) ''सांकुर शाखा'' से अभिप्राय है, बागवानी पौधे का कोई भाग, जिसे मूलवृंत पर उपरोपित किया जाता है या अंकुरित किया जाता है;

(ध) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;

(न) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(प) ''अज्ञात वंशावली'' से अभिप्राय है और इसमें शामिल है, पौधे की उपकिस्म, जिसकी वंश परम्परा, आनुवंशिक वंश या व्युतपत्ति का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, वर्णन नहीं है या आधिकारिक रूप से अभिलिखित नहीं है;

(फ) ''उपकिस्म'' से अभिप्राय है, वृद्धि, उपज, पौधे, फल, बीज या अन्य विशेषताओं द्वारा पहचानी जाने वाली किसी किस्म का उप–विभाजन।

3. सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, जो अपर निदेशक की पदवी से नीचे का न हो। सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति।

4. बागवानी पौधशाला का कोई भी स्वामी, सिवाय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन इस प्रयोजन के लिए विहित मानकों और सक्षम प्राधिकारी से उस द्वारा प्राप्त अनुज्ञप्ति के अधीन और के अनुसार, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से छह मास की समाप्ति के बाद या ऐसी तिथि, जिसको वह ऐसी पौधशाला का स्वामी बना है, जो भी बाद में हो, से कारबार का संचालन नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगाः स्वामी द्वारा बागवानी पौधशाला के पंजीकरण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करना।

परन्तु जहां कोई स्वामी चाहे उसी जिला या गांव में या भिन्न–भिन्न जिलों या गांवों में उसी नाम से या अन्य नाम से एक से अधिक बागवानी पौधशालाएं रखता है, तो उसे प्रत्येक ऐसी पौधशाला के सम्बन्ध में पृथक् अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी।

5. (1) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक कोई स्वामी, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के साथ सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगाः अनुज्ञप्ति प्रदान करने या इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य या केन्द्रीय सरकार के निगमित निकायों के स्वामित्व वाली बागवानी पौधशाला को अनुज्ञप्ति फीस या नवीनीकरण फीस से छूट प्राप्त होगी।

(2) नई अनुज्ञप्ति प्रदान करने या अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन की दशा में, सक्षम प्राधिकारी, निरीक्षण अधिकारी को बागवानी पौधशाला का निरीक्षण करने के लिए निदेश देगा और ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर, आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी, निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वह आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद और कारणों को अभिलिखित करने के बाद, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करने से मना कर सकता है या नवीनीकरण कर सकता है और आवेदक को मना करने के अपने आदेश की एक प्रति आवेदक को दे सकता है।

(5) इस धारा के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति, ऐसे प्ररूप में होगी, जो विहित किया जाए और इसके जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और ऐसी फीस के साथ ऐसे रीति, जो विहित की जाए, में पांच वर्ष की ऐसी ओर अनधिक अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नवीकृत की जाएगी।

6. स्वामी को उसकी पसंद के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की उपकिस्मों और किस्मों का विक्रय करने हेतु अनुमत किया जाएगाः विक्रय हेतु अनुमति।

परन्तु फलीय पौधे का स्वामी केवल धारा 13 की उप–धारा (1) तथा (2) में यथा उपबन्धित उसकी उपकिस्मों और किस्मों का विक्रय करेगा।

अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या निलम्बन या बागवानी पौधे और पौध सामग्री को नष्ट करने की शक्ति।

7. (1) सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित किसी भी आधार पर इस अधिनियम के अधीन स्वामी को प्रदत्त या नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर सकता है अथवा रद्द कर सकता है, अर्थात् :–

(क) यदि उसने बागवानी पौधशाला पर पूर्णतः या भागतः अपना नियन्त्रण छोड़ दिया है अथवा ऐसी बागवानी पौधशाला का अन्यथा से रख–रखाव या संचालन करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि वह, युक्तियुक्त कारण के बिना, अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों या सक्षम प्राधिकारी के किसी निदेश की अनुपालना करने में असफल हो गया है अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध की उल्लंघना करता है;

(ग) यदि उसने दीवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने लिए के आवेदन किया है या दीवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है;

(घ) यदि वह ऐसी बागवानी पौधशाला का रख–रखाव या संचालन करने में असक्षम हो गया है;

(ङ) यदि उसने अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित रजिस्टरों या अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने से मना कर दिया है;

(च) किसी अन्य आधार पर, जो विहित किया जाए:

परन्तु इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्दकरण की दशा में, स्वामी किसी मुआवजे और उस द्वारा भुगतान की गई फीस के प्रतिदाय के लिए हकदार नहीं होगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में रद्दकरण आदेश पारित होने तक अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी, स्वामी को वे आधार सूचित करेगा जिन पर उस द्वारा कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है और आगे ऐसी कार्रवाई के विरूद्ध उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, बागवानी पौधों या पौध सामग्री को पूर्णतः या भागतः नष्ट कर सकता है, यदि यह अज्ञात वंशावली की पाई जाती है या पीड़कों और रोगों से संक्रमित पाई जाती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु और उचित अभिलेख बनाए रखने हेतु पहचानने और नष्ट करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण विडियोग्राफी के माध्यम से किया जाएगा।

(5) उप–धारा (1) या (2) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति, स्वामी को संसूचित की जाएगी और यदि स्वामी उसे प्राप्त करने से इनकार करता है या टालता है, तो आदेश की प्रति बागवानी पौधशाला के सहजदृश्य स्थान पर चिपकाई जाएगी और इसे संसूचित किया गया समझा जाएगा।

अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण।

8. (1) किसी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट वैधता की अवधि की समाप्ति पर या अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण के किसी आदेश की प्राप्ति पर, स्वामी, सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करेगा, बशर्ते सक्षम प्राधिकारी, ऐसी अनुज्ञप्ति की प्राप्ति के बाद और स्वामी के आवेदन पर, उसे अपनी बागवानी पौधशाला को बंद करने हेतु या अन्यथा से उसे समर्थ बनाने के लिए युक्तियुक्त समय दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(2) यदि स्वामी नियत अवधि के भीतर बंद नहीं करता है, तो धारा 16 के अधीन यथा उपबन्धित शास्ति के अतिरिक्त निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्वामी की लागत पर बागवानी पौधशाला और पौध सामग्री नष्ट की जाएगी।

प्रतिलिपि अनुज्ञप्ति जारी करना।

9. यदि किसी स्वामी को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति गुम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, विकृत हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी, आवेदन करने पर और ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के भुगतान पर, प्रतिलिपि अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

अपील।

10. (1) धारा 5 या 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, अपील प्राधिकारी को अपील दायर कर सकता है:

परन्तु अपील प्राधिकारी विहित अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह उचित समझे।

(3) इस धारा के अधीन पारित कोई आदेश अन्तिम होगा।

11. स्वामी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात्:– स्वामी के कर्तव्य।

(क) ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्टर बनाए रखना और सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए रिकार्ड प्रस्तुत करना;

(ख) बागवानी पौधशाला में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रत्येक बागवानी पौधे और पौध सामग्री के लिए दर प्रदर्शित करना;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में बिल बुक बनाए रखना;

(घ) फलीय पौधे के मामले में कम से कम दस वर्ष के लिए और बागवानी पौधे और पौध सामग्री के मामले में दो वर्ष के लिए रजिस्टर तथा अन्य रिकार्ड बनाए रखना;

(ङ) बागवानी पौधशाला मिट्टी, पौध सामग्री और बागवानी पौधे को पीड़क और रोग से मुक्त रखना;

(च) ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में पौधा संरक्षण उपायों के ब्यौरे देते हुए रजिस्टर बनाए रखना;

(छ) ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में रिकार्ड बनाए रखना।

12. धारा 11 में यथा उपबंधित कर्तव्यों के अतिरिक्त, फलीय पौधे के स्वामी के निम्नलिखित कर्तव्य भी होंगे, अर्थात्:– फलीय पौधों के स्वामी के कर्तव्य।

(क) अनुज्ञप्ति में यथा विनिर्दिष्ट फलीय पौधे की केवल ऐसी उपकिस्मों का कारबार या प्रवर्धन करना;

(ख) निम्नलिखित को दर्शाते हुए ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में प्रत्येक मूलवृंत और सांकुर शाखा की उत्पत्ति और स्रोत का सम्पूर्ण रिकार्ड रखना–

(i) प्रयुक्त मूलवृंत का स्थानीय नाम, यदि कोई हो, के साथ वानस्पतिक नाम;

(ii) प्रयुक्त सांकुर शाखा का स्थानीय नाम, यदि कोई हो, के साथ वानस्पतिक नाम;

(iii) हरे रंग की पृष्ठ भूमि और सफेद लेबलिंग के साथ स्थानीय भाषा में बागवानी पौधशाला के सहजदृश्य स्थान पर डिस्पले बोर्ड पर पौधों के भण्डार की स्थिति और मूल्य ढांचा;

(ग) फलीय पौधे के प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त फलीय पौधे के साथ–साथ पौध सामग्री को पीड़क और रोगों से मुक्त रखना और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारत सरकार/राज्य बागवानी विश्वविद्यालयों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/बागवानी विभाग, हरियाणा द्वारा यथा विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विक्रय के लिए आशयित फलीय पौधों पर फलीय पौधे की उपकिस्म का नाम, इसकी आयु, स्रोत और मूलवृंत का नाम दर्शाते हुए सुस्पष्ट लेबल/जल प्रतिरोधी क्यू आर कोड होना चाहिए;

(ङ) बागवानी पौधशाला में उपलब्ध पौध सामग्री और फलीय पौधों, जो प्रवर्धित या आयात किए गए हैं, का रिकार्ड बनाए रखना;

(च) जब कभी कोई नई उपकिस्म जोड़ी जानी है, तो सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि पौध सामग्री और फलीय पौधा युक्त प्रत्येक पैकेज या पात्र पर विक्रय की गई उपकिस्म को दर्शाने के लिए स्पष्ट रूप से लेबल किया जाता है और/या क्यू आर कोड लगाया जाता है।

13. (1) फलीय पौधे के मामले में, स्वामी राज्य बागवानी विश्वविद्यालय/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारत सरकार/बागवानी विभाग, हरियाणा द्वारा यथा अनुमोदित सांकुर शाखा और मूलवृन्तों की उपकिस्मों का प्रयोग करेगा। प्रवर्धन के लिए उपयोग की जाने वाली पौध सामग्री।

(2) यदि स्वामी देश के बाहर उत्पादित फलीय पौधे की सांकुर शाखा और मूलवृंत की आयातित उपकिस्म का प्रयोग करता है, तब उसके साथ आयात परमिट, पादपस्वच्छता प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाएगा तथा प्रवेश के पश्चात् उसे संगरोधन से गुजरना होगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति पौध सामग्री की किसी किस्म को उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर सकता है, यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि ऐसी पौध सामग्री का उपयोग निम्नलिखित कारणों से बागवानी के हित को प्रभावित करेगा, अर्थात्:–

(क) बागवानी उत्पाद की घटिया गुणवत्ता;

(ख) पौध सामग्री की घटिया उपज क्षमता;

(ग) कीटों, पीड़कों और रोग, जिसका उपचार नहीं किया जा सकता, से संक्रमित;

(घ) अज्ञात वंशावली का फलीय पौधा;

(ङ) कोई अन्य कारण, जिन्हें बागवानी हित में उचित माना जा सकता है।

(4) यदि अन्य पौधशालाओं को कीटों, पीड़कों तथा रोगों के प्रसार का खतरा है, तो स्वामी सभी बागवानी पौधों और पौध सामग्री को संगरोधित करेगा तथा आगे प्रवर्धन के लिए उसका उपयोग और आपूर्ति नहीं करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी ऐसे संक्रमित बागवानी पौधे और पौध सामग्री को नष्ट करने के लिए आदेश दे सकता है।

सरकार की विनियमित और निषेध करने की शक्ति।

14. सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य के किसी भाग में उगाई जाने वाली या आयातित या निर्यातित अज्ञात वंशावली या किसी संक्रामक पीड़क या रोग से प्रभावित किसी बागवानी पौधे या पौध सामग्री को उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के प्रयोजन हेतु, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, विनियमित या निषेध कर सकती है।

प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति।

15. (1) सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति और निरीक्षण अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां होंगी,–

(क) बागवानी पौधशाला में प्रवेश करने, बागवानी पौधे और पौध सामग्री का निरीक्षण या जांच करने;

(ख) ऐसी बागवानी पौधशाला से संबंधित किसी रिकार्ड, लेखा बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण का आदेश करने तथा ऐसे दस्तावेज का कोई उद्धरण लेना;

(ग) बागवानी पौधशाला के मामलों से संबंधित किसी व्यक्ति की जांच करने।

(2) स्वामी और बागवानी पौधशाला के मामलों के संबंध में नियोजित सभी व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या निरीक्षण अधिकारी को ऐसे निरीक्षण तथा जांच के लिए यथा अपेक्षित सभी युक्तियुक्त पहुंच और सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे और उनके सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, बागवानी पौधशाला के संबंध में, यथा अपेक्षित उनके कब्जे में दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसी अन्य सूचना देंगे।

दण्ड।

16. (1) जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी भी उपबन्ध की उल्लघंना करता है या किसी अधिकारी या व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति के प्रयोग में या अधिरोपित किसी भी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालता है, तो वह किसी प्रकार के कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या केवल एक लाख रूपए तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति, कोई कम्पनी है, तो कम्पनी के साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय पर कम्पनी का प्रभारी था, और कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए इसके प्रति जिम्मेवार था, को अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा उप–धारा (1) के अनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिए दायी होगी/होगाः

परन्तु इस उप–धारा में दी गई कोई भी बात, किसी व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनाएगी, यदि वह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध को रोकने हेतु सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(3) उप–धारा (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या की मौनानुकूलता, या के भाग पर किसी उपेक्षा के कारण किया गया है, तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा उप–धारा (1) के अनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा।

व्याख्या– इस धारा के प्रयोजनों हेतु–

(क) ''कम्पनी'' से अभिप्राय है, कोई भी निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म या व्यष्टि संगम भी शामिल है; तथा

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' उस फर्म में भागीदार है।

अपराध का संज्ञान।

17. कोई भी न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसे अपराध से सम्बन्धित तथ्यों की लिखित रिपोर्ट की प्राप्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा और विचारण नहीं करेगा।

18. (1) बागवानी पौधा और पौध सामग्री, जो स्वामी द्वारा बिल/बीजक में उल्लिखित अनुसार वास्तविक और उसी किस्म का नहीं पाया जाता है/नहीं पाई जाती है, तो इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन माना जाएगा और स्वामी, धारा 16 की उप–धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा। मुआवजा।

(2) उप–धारा (1) के अनुसरण में, स्वामी निम्नानुसार मुआवजा देने के लिए भी दायी होगा,–

(i) सजावटी पौधे से भिन्न बागवानी पौधे के मामले में, खेती की लागत के बराबर या दोगुने तक;

(ii) सजावटी पौधे के मामले में, सजावटी पौधे की खरीद की लागत का दोगुनाः

परन्तु उक्त मुआवजा, इस प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अध्यधीन होगा।

19. किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। न्यायालय की अधिकारिता।

20. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी अधिकारी और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करने या अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा। इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाले अधिकारियों और व्यक्तियों का लोक सेवक होना।

21. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में या सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात या जारी किए गए आदेश के लिए सरकार या किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

22. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

23. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

24. (1) हरियाणा फल–पौधशालाएं अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 13), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के समरूप उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा में बागवानी क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फल पौधशालाओं के लिए एक नियामक ढांचा हरियाणा फल पौधशाला अधिनियम, 1961 के रूप में उपलब्ध है। हालांकि, फल पौधशालाओं के अलावा अन्य बागवानी पौधशालाओं के लिए सुव्यवस्थित नियामक ढांचे के अभाव के कारण, निम्न गुणवत्ता एवं रोगग्रस्त पौध सामग्री का विक्रय किया जा रहा है, जिससे फसल उत्पादकता में कमी एवं किसानों और ग्राहकों को आर्थिक हानि हो रही है।

हरियाणा फल पौधशाला अधिनियम, 1961 की सीमित प्रयोज्यता है, क्योंकि इसमें सब्जियों, मसालों, रूचिकर–सामग्री (कोंडिमेन्ट्स), फूलों, सजावटी, औषधीय और सुगंधमयी फसलों से संबंधित बागवानी पौधशालाओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कमी के कारण, बिना किसी उत्तरदायित्व के अनधिकृत पौधशालाएं संचालित हो रही हैं, जिससे अज्ञात वंशावली की पौध सामग्री का प्रसार एवं बागवानी फसलों में कीटों तथा रोगों की वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक पौधशाला प्रबंधन, गुणवत्ता सुनिश्चितता एवं विनियमन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है, ताकि किसानों को केवल प्रमाणित एवं उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री ही उपलब्ध हो।

अतः हरियाणा सरकार को यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि वर्तमान हरियाणा फल पौधशाला अधिनियम, 1961 को निरसित कर, राज्य में बागवानी पौधशालाओं के विनियमन हेतु एक व्यापक कानून लाया जाए। प्रस्तावित ''हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक, 2025'' निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लाया जा रहा हैः

1. हरियाणा राज्य में बागवानी पौधशालाओं के पंजीकरण एवं विनियमन हेतु प्रावधान करना।
2. यह सुनिश्चित करना कि बागवानी पौधशाला का स्वामी अधिनियम एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार पौधशाला का पंजीकरण कराए।
3. स्वामी को किसी भी श्रेणी के फलों, सब्जियों, मसालों, रूचिकर–सामग्री (कोंडिमेन्ट्स), फूलों, सजावटी, औषधीय और सुगंधमयी फसलों के लिए बागवानी पौधशाला का पंजीकरण कराने की अनुमति होगी।
4. स्वामी को अपनी पसंद के अनुसार बागवानी पौधों की उपकिस्में एवं किस्में बेचने की अनुमति होगी, जबकि फल पौधों की उपकिस्में अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाएंगी।
5. स्वामी एक से अधिक बागवानी पौधशालाएं रख सकता है, बशर्ते वह अलग–अलग अनुज्ञप्ति प्राप्त करे।
6. सक्षम प्राधिकारी को अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रदान या नवीनीकृत किसी भी अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने का अधिकार प्रदान करना।
7. बागवानी पौधशाला के स्वामी को निर्धारित प्रारूप एवं तरीके से अभिलेखों के रखरखाव हेतु बाध्य करना।
8. अज्ञात वंशावली या कीट एवं रोगग्रस्त बागवानी पौधे एवं पौध सामग्री के विक्रय एवं वितरण को विनियमित एवं प्रतिबंधित करना।
9. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंड का प्रावधान करना।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रस्तुत किया गया है।

अतः, यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

श्याम सिंह राणा,
कृषि मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 20 मार्च, 2025.

डॉ० सतीस कुमार,
सचिव।

विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित ज्ञापन

यह विधेयक राज्य सरकार, सरकार और सक्षम प्राधिकारी को विभिन्न धाराओं में शक्तियाँ प्रदान करता है, ताकि बागवानी पौधशालाओं से संबंधित सुचारू विनियमन, पंजीकरण, निरीक्षण और प्रवर्तन को सुनिश्चित किया जा सके।

धारा	प्रत्यायोजन का विषय	प्रत्यायोजित प्राधिकरण	प्रत्यायोजन का स्वरूप
धारा 3	सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति	सरकार	अधिनियम को लागू करने के लिए (अतिरिक्त निदेशक स्तर से नीचे न होने वाले) अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति।
धारा 7	अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या निलम्बन या बागवानी पौधे और पौध सामग्री को नष्ट करने की शक्ति	सक्षम प्राधिकारी	अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द करने की शक्ति।
धारा 10	अपील	अपीलीय प्राधिकारी	अनुज्ञप्तियों निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने और आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति।
धारा 14	सरकार की विनियमित और निषेध करने की शक्ति	सरकार	कीटों, बीमारियों या अज्ञात वंशावली से प्रभावित बागवानी पौधों और रोपण सामग्री के आयात/निर्यात को विनियमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति।
धारा 15	प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति	सक्षम प्राधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति/निरीक्षण अधिकारी	पौधशालाओं का निरीक्षण करने, रिकार्ड सत्यापित करने और प्रवर्तन कार्रवाई करने की शक्ति।
धारा 16	दंड	सक्षम प्राधिकारी	अधिनियम के उल्लंघन के लिए 1,00,000/- रुपये तक का जुर्माना लगाने या एक वर्ष तक की कैद या दोनों देने की शक्ति।
धारा 18	मुआवजा	सक्षम प्राधिकारी	मुआवजे की राशि तय करने के लिए एक समिति गठित करने की शक्ति।
धारा 22	नियम बनाने की शक्ति	सरकार	अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचनाओं के माध्यम से नियम बनाने की शक्ति। अधिनियम के तहत बनाए गए हर नियम को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
धारा 23	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति	सरकार	अधिनियम लागू होने के दो वर्षों के भीतर कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति।

11748—H.V.S.—H.G.P., Pkl.